

ज्ञान वनाम् पुत्राय वरु

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

रुद्र राम

उ. नं. - 5/2018

नम्बर व  
जो इस  
में जारी

30.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 536/भू.अभि./22 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 231 दिनांक 25.01.2019 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

( दिलीप सिंह )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

